सं0 8/1/99-पी.बी.सी.(खण्ड-7)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

"ए" विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 15.3.2001

<u>आदेश</u>

2 नवम्बर, 2000 के मंत्रिमण्डल निर्णय के अनुसरण में, जिसके द्वारा भारत में डी टी एच प्रसारण की अनुमति दी गई है। भारत में डी टी एच सेवाओं के संचालन के लिए आवेदन पत्र तथा लाइसेंसीकरण अनुबंध सहित विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसकी एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाली जाए।

(राकेश मोहन)
संयुक्त सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 23382697

संलग्नक: यथोक्त

प्रति:-

1. मंत्रिमण्डल सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय
2. सचिव, दूरसंचार विभाग
3. सचिव, गृह मंत्रालय
4. सचिव, वित्त मंत्रालय
5. सचिव, राजस्व विभाग
6. सचिव, अंतरिक्ष विभाग
7. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती

पास किसी प्रसारण और/या केबल नेटवर्क कंपनी में 22 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर नहीं होंगे।

- लाइसेंसधारक को कंपनी के इक्विटी वितरण का विवरण निर्धारित प्रपत्र (फार्म – "क" के अनुबंध की सारणी (1) तथा (2) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में एक महीने के अंदर प्रस्तुत करने होंगे)

(2) **<u>लाइसेंसधारकों की संख्या</u>**

डीटीएच लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो निबंधनों और शर्तों को पूरा करते हों और यह भारत सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा तथा तकनीकी प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्भर करेगा।

(3) **<u>लाइसेंस की अवधि</u>**

लाइसेंस, संचार मंत्रालय के बेतार योजना समन्वयन स्कंध द्वारा बेतार संचालन लाइसेंस जारी करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, लाइसेंसदाता द्वारा भारत संघ के हित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द/निरस्त किया जा सकता है।

(4) **<u>प्राथमिक शर्तें/दायित्व</u>**

लाइसेंस, अनुबंध तथा इसकी अनुसूची में निहित निबंधनों तथा शर्तों पर निर्भर करेगा (फार्म-ख)

(5) **<u>आवेदन करने तथा लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया</u>**

- निर्धारित प्रपत्र (फार्म – "क") में तीन प्रतियों में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन किया जाएगा।
- आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार यदि आवेदक को भारत में डी टी एच प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए पात्र पाया जाता है तो आवेदन गृह मंत्रालय के परामर्श से सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा अंतरिक्ष विभाग से उपग्रह के उपयोग के लिए प्रमाणपत्र पर निर्भर करेगा।

- ये प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को 10 करोड़ रू0 का अप्रत्यर्पणीय प्रविष्टि शुल्क सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देना होगा।
- इस प्रविष्टि शुल्क के भुगतान के बाद, आवेदक को लाइसेंस जारी करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इरादे से अवगत कराया जाएगा और उससे एस.ए.सी.एफ.ए. प्रमाणपत्र के लिए बेतार योजना समन्वयन (डब्ल्यू पी सी) से संपर्क करने का अनुरोध किया जाएगा।
- एस.ए.सी.एफ.ए. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, लाइसेंसधारक को इसके एक महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को किसी अनुसूचित बैंक से लाइसेंस की अवधि के दौरान वैध, 40 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी (फार्म–"ग") प्रस्तुत करनी होगी।
- बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद लाइसेंसधारक को निर्धारित प्रपत्र (फार्म–"ख") के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ लाइसेंसकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ इस लाइसेंसकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, आवेदक को डी टी एच प्लेटफार्म के स्थापन, अनुरक्षण तथा संचालन के लिए वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस प्राप्त करने हेतु संचार मंत्रालय के बेतार योजना समन्वयन स्कंध को आवेदन करना होगा।
- लाइसेंसधारक को उस वित्तीय वर्ष विशेष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में प्रदर्शित सकल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर का वार्षिक शुल्क का भुगतान, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक माह के अंदर करना होगा।
- लाइसेंसधारक को इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के अधीन बेतार योजना तथा समन्वयन प्राधिकरण (डब्ल्यू पी सी) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस शुल्क तथा रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

मध्यस्थता शर्त:

किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को निर्णय के लिए सचिव, विधायी कार्य विभाग, भारत सरकार या उसके नामित को उसकी अनन्य मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा। मध्यस्थ के निर्णय को, पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थ कार्यवाही उस समय प्रभावी भारतीय मध्यस्थता नियमों के द्वारा अधिशासित होगी। मध्यस्थता का स्थान भारत होगा।

.....

फार्म-क

के यू बैण्ड में डी टी एच प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र

सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
"ए" विंग, शास्त्री नगर,
नई दिल्ली-110001

1. (1) आवेदक कंपनी का नाम
(2) निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी का विवरण

(क) मुख्य कार्यकारी

नाम	जन्म तिथि	नागरिकता तथा निवास	स्थायी पता	वर्तमान पता

(ख) अन्य निदेशक

क्रम सं0	नाम	जन्म तिथि	नागरिकता तथा निवास	स्थायी पता	वर्तमान पता

2. (1) पता (कार्यालय)
(क) मुख्यालय
(ख) क्षेत्रीय

(2) टेलीफोन नम्बर
(3) पंजीकरण विवरण (निगमीकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

3. इक्विटी पूंजी का ढांचा
(1) प्राधिकृत शेयर पूंजी
(2) प्रदत्त शेयर पूंजी

*4. शेयर होल्डिंग पैटर्न (अनुबंध के अनुसार विवरण संलग्न करें)

(1) सीधा निवेश (कुल प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत के रूप में)

(क) भारतीय_____ %

(ख) विदेशी_____%

विदेश सीधे निवेश का अलग-अलग विवरण

वैयक्तिक _____ %

कंपनी _____ %

एन आर आई_____ %

ओ सी बी _____ %

पी आई ओ _____ %

(2) पोर्टफोलियो निवेश

(क) भारतीय_____ %

(ख) विदेशी_____%

विदेशी पोर्टफोलियों का अलग-अलग विवरण

एफ आई आई

एन आर आई

ओ सी बी

पी आई ओ

5. अन्य व्यवसाय/कार्य का विवरण-

#6. आवेदक कंपनी में अन्य प्रसारण कंपनियों तथा केबल नेटवर्क कंपनियों के शेयर होल्डिंग की मात्रा तथा इन कंपनियों का विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	कार्य (प्रसारण या केबल नेटवर्क)	आवेदक कंपनी में इक्विटी होल्डिंग का

			प्रतिशत

#7. अन्य प्रसारण कंपनियों और केबल नेटवर्क कंपनियों में आवेदक कंपनी की इक्विटी होल्डिंग का विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	कार्य (प्रसारण या केबल नेटवर्क)	आवेदक कंपनी में इक्विटी होल्डिंग का प्रतिशत

8. डी टी एच अंतरिक्ष खण्ड, अपलिंक भू-केन्द्र तथा भू-टर्मिनल का विवरण:-

(क) <u>डी टी एच प्लेटफार्म का अंतरिक्ष खण्ड</u>

1. उपयोग के लिए प्रस्तावित उपग्रह का नाम
2. भू-स्थैतिक कक्षा में परिक्रमा की स्थिति
3. किराए पर लिए जाने वाले ट्रान्सपोंडरों का प्रकार और संख्या
4. संचालन का फ्रीक्वेंसी बैण्ड: 10.95-11.2 गीगाहटर्ज/11.45-11.7 गीगाहटर्ज (डाउनलिंक) (उपयुक्त रूप से सर्किल) 12.2-12.5 गीगाहटर्ज/12.5-12.75 गीगाहटर्ज
5. ट्रान्सपोंडर की केन्द्रीय फ्रीक्वेंसी
6. प्रत्येक ट्रान्सपोंडर पर चैनलों की संख्या
7. प्रत्येक टी वी चैनल के लिए डॉटा रेट एफ ई सी, मोड्यूलेशन बैन्डविड्थ तथा विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी का विवरण
8. भारत के ऊपर अधिकतम तथा न्यूनतम उपग्रह ई आई आर पी प्रसारण डी बी डब्ल्यू में

(उपग्रह प्रसारण्ा एंटेना/भारत के ऊपर ई आई आर पी गेन केन्टर्स का विवरण संलग्न करें)

(ख) अपलिंक केन्द्र का विवरण

- डी टी एच अपलिंक केन्द्र का स्थल
- अपलिंक फ्रीक्वेंसी बैन्ड: 13.75-14 गीगाहटर्ज/14.0-14.25 गीगाहटर्ज (उपयुक्त सर्किल) 14.25-14.5 गीगाहटर्ज
- अपलिंक एंटीना का साइज:
- अपलिंक एंटीना गेन:
- अपलिंक ई आई आर पी (अधिकतम):
  (न्यूनतम):

(ग) डाउनलिंक का साइज (अधिकतम):
एंटीना का साइज (न्यूनतम):
प्रस्तावित चैनलों की संख्या

(उपग्रह जिस पर ट्रान्सपोंडर को किराए पर लेने का प्रस्ताव है, का लीज अनुबंध तथा इसके फुटप्रिंट संलग्न करें)

मैं/हम .....आवेदक एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि उपरोक्त तथ्य हर प्रकार से सत्य हैं।

स्थान: **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

दिनांक: **नाम.....**

कार्यालय का पता.....

संलग्नक:

- लाइसेंसधारक प्रतिवर्ष उस वित्तीय वर्ष की शुरूआत में एक माह के अंदर यह विवरण्ा संलग्न सारणी-1 तथा 2 के अनुसार भी उपलब्ध कराएंगे।

लाइसेंसधारक प्रतिवर्ष उस वित्तीय वर्ष की शुरूआत में एक माह के अंदर यह विवरण उपलब्ध कराएंगे।

.....

फार्म-क का अनुबंध

आवेदन पत्र के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र

सारणी-1

आवेदक कंपनी मैसर्स.....का .....के अनुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न

शेयर का अंकित मूल्य.....रू0

क्र0 सं0	शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर होल्डिंग			
		सीधा निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की सं0	कुल प्रदत्त शेयरों का %	शेयरों की सं0	कुल प्रदत्त शेयरों का %
1.	भारतीय व्यक्ति				
2*	भारतीय कंपनी				
3.	विदेशी व्यक्ति				
4.	विदेशी कंपनी				
5.	एन आर आई				
6.	ओ सी बी				
7.	एफ आई आई				
8.	पी आई ओ				
9.	कोई अन्य				

* भारतीय कंपनियों के लिए सारणी-2 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार भी सूचना उपलब्ध कराई जाए।

.....

सारणी-2

आवेदक कंपनी में शेयरधारण करने वाली प्रत्येक भारतीय कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसाकि सारणी-1 के कॉलम (1) में क्रम सं0-2 में बताया गया है।

(1) कंपनी का नाम

(2) आज की तारीख के अनुसार सूचना

(3) आवेदक कंपनी में कंपनी द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा प्रतिशत

(4) शेयर का अंकित मूल्य.....रू0

(5) कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न

क्र0 सं0	शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर होल्डिंग			
		सीधा निवेश		पोर्टफोलियो निवेश	
		शेयरों की सं0	कुल प्रदत्त शेयरों का %	शेयरों की सं0	कुल प्रदत्त शेयरों का %
1.	भारतीय व्यक्ति				
2*	भारतीय कंपनी				
3.	विदेशी व्यक्ति				
4.	विदेशी कंपनी				
5.	एन आर आई				
6.	ओ सी बी				
7.	एफ आई आई				
8.	पी आई ओ				
9.	कोई अन्य				

टिप्पणी: आवेदक कंपनी में शेयरधारण करने वाली प्रत्येक भारतीय कंपनी के बारे में यह सूचना दें।

.....

फार्म-बी

लाइसेंस करार

यह करार.....सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से एक पक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद लाइसेंसदाता कहा गया है) और दूसरे पक्ष के रूप में मैसर्स.....जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है(जिसे इसके बाद लाइसेंसधारक कहा गया है जिसमें जब तक संदर्भ से असंगत न हो, इसके व्यापार में उत्तरवर्ती, प्रशासक, परिसमापक तथा अधिन्यासी या कानूनी प्रतिनिधि शामिल है), के बीच.....2001 की .....तारीख को किया जाता है।

लाइसेंसधारक के अनुरोध पर लाइसेंसदाता लाइसेंसधारक को डी टी एच प्लेटफार्म की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-4 और भारतीय बेतार टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के अंतर्गत आगे उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों जिन्हें लाइसेंसधारक ने स्वीकार करने की सहमति दी है, के अनुसार लाइसेंस जारी करने के लिए सहमत हुआ है।

इस करार में निम्नलिखित शामिल है:-

1. जब तक इसके बाद उल्लिखित किसी विषय या संदर्भ में उल्लेख न किया जाए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुबंधनों को समाविष्ट करने

वाली संलग्न अनुसूची और संचार मंत्रालय, भारत सरकार के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा जारी की जाने वाली शर्तें एवं निबंधन इस लाइसेंस करार का अभिन्न अंग होंगे। तथापि, किसी विवाद या मतभेद अथवा संबंधित किसी मामले में संलग्न सभी अनुसूचियों के साथ पठित इस करार के मुख्य भाग में निर्धारित शर्तें मान्य होंगी।

2. लाइसेंसधारक को प्रसारण के संबंध में भविष्य में जारी होने वाले किसी भी विधान के प्रावधानों का पालन करना होगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्ष एतद्द्वारा इस करार को अपने-अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ऊपर उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

भारत के राष्ट्रपति
की ओर से
.....द्वारा
हस्ताक्षरित, निष्पादित तथा प्रस्तुत

बोर्ड के दिनांक..... के संकल्प
के अनुसार.....की ओर से
इसके सामान्य मुख्तारनामाधारक के
रूप में.....द्वारा
हस्ताक्षरित, निष्पादित तथा प्रस्तुत

.....

फार्म-बी की अनुसूची

शर्तें एवं निबंधन

अनुच्छेद-1

पात्रता शर्तें

1.1 लाइसेंसधारक कंपनी, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय कंपनी होगी।

1.2 लाइसेंसधारक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी में सीधा विदेशी निवेश/अनिवासी भारतीय/ ओ सी बी/एफ आई आई सहित कुल विदेशी निवेश 49% से अधिक नहीं होगा।

1.3 लाइसेंसधारक कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी में विदेशी इक्विटी का सीधा विदेशी निवेश घटक 20% से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: विदेशी निवेशकों द्वारा एफ डी आई/एन आर आई/ओ सी बी निवेश के माध्यम से नियंत्रित या धारित भारतीय प्रवर्तक कंपनी की कुल जारी इक्विटी पूंजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात द्वारा प्रस्तुत राशि उपरोक्त 20% की एफ डी आई सीमा का हिस्सा होगी।

1.4 लाइसेंसधारक द्वारा किसी प्रसारण कंपनी और/अथवा केबल नेटवर्क कंपनी को लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी की प्रदत्त इक्विटी के 20% से अधिक के सामूहिक स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइसेंसधारक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में एक मास के भीतर कंपनी का इक्विटी वितरण निर्धारित प्रोफार्मा (फार्म-ए की

सारणी-1 तथा 2) में प्रस्तुत करेगा। सरकार भी आवश्यक होने पर लाइसेंसधारक कंपनी की इक्विटी राशि का विवरण मांग सकेगी।

1.5 लाइसेंसधारक कंपनी किसी प्रसारण और/अथवा केबल नेटवर्क कंपनी में 20% से अधिक इक्विटी शेयर नहीं रख सकेगी। लाइसेंसधारक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में एक मास के भीतर लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। सरकार भी आवश्यक होने पर लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेश का विवरण मांगी सकेगी।

1.6 आवेदक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ इसके बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ ही इसका प्रबंध नियंत्रण भारतीय के पास होना चाहिए।

अनुच्छेद-2

लाइसेंस की अवधि

2.1 लाइसेंस की वैधता अवधि गैर-एकान्तिक आधार पर 10 वर्ष होगी और इसे डब्ल्यू पी सी द्वारा वायरलैस ऑपरेशनल लाइसेंस जारी करने की तारीख से गिना जाएगा बशर्ते इसे किसी दोष या दिवालियापन के कारण अथवा सुविधा के लिए या लाइसेंस के हस्तांतरण के कारण पहले समाप्त न कर दिया जाए।

2.2 लाइसेंसदाता की पूर्वानुमति के बिना लाइसेंस का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-3

लाइसेंस शुल्क

3.1 लाइसेंसदाता द्वारा आशय पत्र जारी करने से पहले लाइसेंसधारक द्वारा 10 करोड़ रू0 के प्रारंभिक गैर-प्रत्यर्पणीय प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा और संचार मंत्रालय के वायरलैस आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा वायरलैस ऑपरेशनल लाइसेंस जारी करने के बाद संबंधित वित्तीय वर्ष में सकल राजस्व के 10% के बराबर वार्षिक शुल्क वर्ष के अंत के एक महीने के भीतर अदा करना होगा।

3.2 इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क और प्रयोग किए गए स्पैक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग के अधीन बेतार योजना समन्वय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रायल्टी का भी भुगतान करना होगा।

अनुच्छेद-4

बैंक गारंटी

4.1 लाइसेंसधारक डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए स्वीकृति जारी करने के एक महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को फार्म-सी में किसी अनुसूचित बैंक से 40 करोड़ राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा जो कि लाइसेंस की अवधि के लिए वैध होगी।

4.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर लाइसेंसदाता को बैंक गारंटी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भुनाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-5

कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन

5.1 लाइसेंसधारक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद-6

कुछ कार्य-कलापों का निषेध

6.1 लाइसेंसधारक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निषिद्ध किसी चैनल को प्रसारित नहीं करेगा।

6.2 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी सुविधाओं का किसी आपत्तिजनक या अश्लील विषयवस्तु भारत के कानूनों के विपरीत संदेश या सूचना और प्रसारण के लिए उपयोग न हो। राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों के लिए उक्त सुविधा या सेवा के उपयोग को भारतीय दंड संहिता और लागू कानूनों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा और लाइसेंस को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

6.3 लाइसेंसदाता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा इसी प्रकार की स्थिति में कार्यक्रमों के प्रसारण अथवा प्राप्ति पर रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित है। लाइसेंसधारक और कार्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले के बीच किसी समझौते के होते हुए भी लाइसेंसधारक टीवी चैनलों अथवा किसी कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत निषिद्ध कर देगा जब भी लाइसेंसदाता अथवा किसी अन्य नामोनिदिष्ट विधिसम्मत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

6.4 लाइसेंसदाता की पूर्वानुमति की स्थिति को छोड़कर, लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों को किसी भी तरह किसी अन्य

पक्ष को न तो सौंपेगा और न ही हस्तांतरित करेगा और न ही उप-लाइसेंस तथा/या लाइसेंस के किसी विषय के संबंध में पूर्ण या आंशिक भागीदारी हेतु किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई करार करेगा। इन शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन को लाइसेंस करार का अतिक्रमण माना जाएगा तथा लाइसेंसधारक का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-7

तकनीकी मानक और अन्य अनिवार्यताएं

7.1 विभिन्न डी टी एच सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अन्त: प्रचालनात्मकता सुनिश्चित करने वाले ओपन आरकीटेक्चर (गैर-मालिकाना) सैट टॉप बॉक्स सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशिष्टियां होंगी।

7.2 लाइसेंसधारक द्वारा सशर्त पहुंच प्रणाली (सी ए एस) के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी जो कि ओपन आरकीटेक्चर (गैर-मालिकाना) सैट टॉप बॉक्स के अनुरूप है।

7.3 लाइसेंसधारक दक्ष, जवाबदेह तथा सही बिलिंग एवं संग्रहण प्रणाली हेतु एक उपभोक्ता प्रबंधन (एस एम एस) के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करेगा।

7.4 लाइसेंसधारक किसी गैर-कानूनी उपस्कर का उपयोग नहीं करेगा।

7.5 डी टी एच द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली विषयवस्तु चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, को भारतीय भूमि पर स्थित भू-केन्द्र के अंदर स्थापित, सामान्य एनक्रिप्शन तथा अभिगमन प्रणाली के जरिए गुजरना होगा।

7.6 लाइसेंसधारक बिना किसी भेदभाव के आधार पर विभिन्न विषयों के कार्यक्रम/ चैनल उपलब्ध कराएगा।

7.7 लाइसेंसधारक को ऐसे किसी भी मार्ग-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन करना होगा जिसे लाइसेंसदाता द्वारा चैनलों के समूह या श्रेणी, आदि का मूल्य-निर्धारण उपभोक्ता के हित में निर्धारित किया जाए।

7.8 लाइसेंसधारक किसी अन्य चैनल को दी गई सर्वाधिक सहायक वित्तीय शर्तों पर प्रसार भारती के चैनलों का प्रसारण करेगा।

अनुच्छेद-8

मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण

8.1 लाइसेंसधारक को अपने स्वयं की लागत पर डीटीएच प्रसारण सेवा की लगातार मॉनीटरिंग के लिए आवश्यक सुविधा मुहैया कराना तथा प्रसारण की तारीख से 90 दिन की अवधि तक प्लेटफार्म पर प्रसारित कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों के रिकॉर्डिंग रखना होगा और जब भी लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होगा, इसे उपलब्ध कराना होगा।

8.2 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित प्रारूप में चैनलों या सेवाओं के अंतर्गत प्रसारित या उपलब्ध किए जा रहे विषयवस्तु, तकनीकी पैरामीटरों आदि के संबंध में लाइसेंसदाता द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक अंतरालों में ऐसी सूचना देगा।

8.3 लाइसेंसधारक उपकरणों, रिकॉर्डों, प्रणालियों आदि सहित अपनी सभी सुविधाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण या उनके द्वारा प्राधिकृत उपयुक्त प्रतिनिधि से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

8.4 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर लाइसेंसधारक के क्रिया-कलापों एवं संचालनों के किसी विशेष पहलू की लगातार मॉनीटरिंग हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया करेगा।

8.5 लाइसेंसदाता ऐसी परिस्थितियां जहां इस प्रकार का नोटिस देने से जांच का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा, को छोड़कर, उपयुक्त नोटिस के बाद सामान्यत रूप से जांच कार्य करेगा।

अनुच्छेद-9

राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य शर्तें

लाइसेंसदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या आपातकाल/युद्ध या छुटपुट संघर्ष अथवा इसी तरह की परिस्थितियों में लाइसेंसधारक की सभी सेवाओं तथा नेटवर्कों को नियंत्रित करने या लाइसेंस रद्द/निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार है। इसके अलावा, लाइसेंसदाता को इस प्रकार की सुरक्षा विवक्षा के होने पर लाइसेंसधारक को सेवा समाप्त करने के निदेश देने का अधिकार है। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी विशेष आदेश या निदेश का लाइसेंसधारक द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

9.2 लाइसेंसधारक ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करेगा जिसे गैर-कानूनी/या नेटवर्क सुरक्षा के लिए दोषपूर्ण के रूप में चिन्हित किया गया हो।

9.3 प्रतिस्थापन, अनुरक्षण तथा लाइसेंसधारक की सेवाओं के संचालन हेतु लाइसेंसधारक द्वारा नियुक्ति, ठेका, परामर्श आदि के तरीके से नियुक्त किए जाने वाले सभी विदेशी व्यक्तियों को उनकी तैनाती से पूर्व भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद-10

मूल्य आधारित सेवा

10.1 वॉयस, फैक्स, डॉटा, संचार, इंटरनेट आदि सहित संचार के अन्य तरीकों के लिए डीटीएच सुविधा का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इन मूल्य आधारित सेवाओं के लिए समक्ष प्राधिकारी से विशेष लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया हो।

अनुच्छेद-11

भारतीय उपग्रहों तथा अंतर-प्रणाली समन्वयन को प्राथमिकता

11.1 यद्यपि लाइसेंसधारक, भारतीय तथा विदेशी दोनों उपग्रहों पर डीटीएच सेवा के लिए बैंडविड्थ क्षमता का उपयोग कर सकता है तथापि, भारतीय उपग्रहों के उपयोग वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

11.2 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कार्य लाइसेंसदाता द्वारा उपयोग किए जा रहे इनसैट तथा उपग्रह के बीच अंतर-प्रणाली-सह-समन्वयन अनुबंध के अनुरूप हों।

अनुच्छेद-12

बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध का लाइसेंस

12.1 इस लाइसेंस की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत डीटीएच प्लेटफार्म/ सुविधा की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन हेतु संचार मंत्रालय के बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध से एक पृथक विशिष्ट प्रचालन लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बेतार योजना एवं समन्वयन प्रचालन लाइसेंस की अनुमति सामान्य नियमों, प्रक्रियाओं तथा

मार्ग-निर्देशों के द्वारा दी जाएगी और यह सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होगी। संचार मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध द्वारा यथा निर्धारित इस अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख से एक महीने के अंदर बेतार योजना एवं समन्वयन योजना में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में "भारत सरकार के बेतार सलाहकार, बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध, संचार मंत्रालय, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को आवेदन करेगा।"

12.2 लाइसेंसधारक बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध या अंतरिक्ष विभाग से यथा निर्धारित अथवा यथा अपेक्षित स्वीकृति/मंजूरी प्राप्त करेगा।

12.3 दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय का बेतार योजना तथा समन्वयन (डब्ल्यू पी सी) स्कंध उक्त आवेदन को प्राप्त करने के बाद लाइसेंसधारक को यथा संभव शीघ्र एसएसीएफए स्वीकृति जारी करेगा तथा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद अंतिम बेतार प्रचालन लाइसेंस देगा बशर्ते कि वे बेतार योजना तथा समन्वयन द्वारा यथा अपेक्षित उपकरणों आदि प्रतिस्थापन सहित आवश्यक शर्तों एवं निबंधनों को पूरा करते हों।

12.4 बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध को बेतार योजना एवं समन्वयन लाइसेंस के अनुसार प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

12.5 लाइसेंसधारक, रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए हानिप्रद हस्तक्षेप का कारण नहीं होगा। बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध, अन्य लाइसेंसधारी

उपयोगकर्ताओं के लिए हानिप्रद हस्तक्षेप, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु व्यवहारिक तथा आवश्यक कदम उठाने के लिए एकल विवेकाधिकार का उपयोग करेगा।

12.6 लाइसेंसधारक, निर्धारित प्रारूप में उनके केन्द्र/टेलीपार्ट के जरिए अपलिंक किए जाने वाले प्रस्तावित टीवी चैनलों तथा अन्य चैनलों का पूर्ण तकनीकी एवं प्रचालनात्मक ब्यौरा बेतार योजना तथा समन्वयन स्कंध को प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद-13

डी.टी.एच. प्लेटफार्म की कमीशनिंग

13.1 लाइसेंसधारक को मॉनीटरिंग सुविधा आदि सहित भारत में अपलिंक भू-केन्द्र को स्थापित कराना होगा और इसके स्थापन कार्य पूरा कराना होगा तथा बेतार प्रचालन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद बेतार योजना एवं समन्वयन द्वारा एस.ए.सी.एफ.सी.ए. की स्वीकृति मिलने की तारीख से बाहर महीनों के अंदर डी.टी.एच. प्लेटफार्म चालू कराना होगा और इस संबंध में लाइसेंसदाता को रिपोर्ट भेजेगा।

अनुच्छेद-14

लाइसेंसदाता को सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता

14.1 लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता को दस्तावेजों, रिपोर्टों लेखों, प्राक्कलनों, रिर्टनों या मुख्य कार्यकारी, निदेशक मंडल, इक्विटी होल्डिंग पैटर्न आदि के बारे में ऐसी कोई अन्य सूचना लेकिन इसी तक सीमित नहीं, आवधिक अंतरालों पर या उस समय जब लाइसेंसदाता द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद-15

लाइसेंस की समाप्ति

15.1 लाइसेंस की शर्तों एवं निबंधनों या कोई अन्य कानून के तहत किसी अन्य सहारे के बावजूद लिखित में कारण बताने के बाद लाइसेंस की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंसदाता को लाइसेंस समाप्त/निलम्बित करने का अधिकार है। तथापि, इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकरण, लाइसेंसधारक की सुनवाई का अवसर देगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

15.2 दिवालिया हो जाने या अन्यथा परीक्षीण अथवा परीक्षीण/दिवालिया के रूप में फैसला किए जाने हेतु आवेदन करने के मामले में लाइसेंसदाता लाइसेंसधारकों को मुआवजा दिए बिना किसी भी समय उसका लाइसेंस समाप्त कर सकता है बशर्ते कि समाप्ति की कार्रवाई पूर्वाग्रहपूर्ण या किसी कार्य अधिकार जो तत्पश्चात लाइसेंसधारक के लिए किया गया है या किया जाएगा, को प्रभावित न करता हो।

अनुच्छेद-16

दैवी आपदा

16.1 इस लाइसेंस के जारी रहते यदि किसी भी समय किसी पार्टी द्वारा किसी दायित्व के निर्वहन में युद्ध, युद्ध जैसी स्थिति, शत्रुता पूर्ण कार्रवाई, नागरिक उत्तेजना, तोड़-फोड़, आग, बाढ़, राज्य तथा केन्द्रों के कार्य, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, प्रभावित पार्टी के किसी भी दायित्व के निर्वहन को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाले हड़ताल या दैवी कार्य (इसके बाद फोर्स मेज्यूर के रूप में सभी या इसमें से कोई) के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से रोकता है या विलंब करता है तो इस तरह की दैवी आपदा के कारण पार्टी

न तो इस लाइसेंस को समाप्त करने की पात्र है और न ही इस तरह के गैर-निष्पादन या निष्पादन में विलंब के संबंध में कोई पार्टी दूसरी पार्टी से नुकसान के लिए दावा कर सकती है बशर्ते इस तरह होने वाली दैवीय घटना की सूचना दूसरी पार्टी को घटना की तारीख से 21 दिन के अंदर दे दे।

अनुच्छेद-17

अन्य पार्टी के साथ विवाद

17.1 किसी भी कारण से लाइसेंसधारक के अलावा किसी भी पार्टी से लाइसेंसधारक के विवाद के मामले में इस मामले को उनके बीच ही हल कर लिया जाएगा और इसमें किसी भी तरह से लाइसेंसदाता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लाइसेंसधारक, उसके एजेंट तथा कर्मचारी की ओर से अपराध अथवा चूक संबंधी कार्यों के लिए लाइसेंसधारक के विरूद्ध किसी कार्रवाई के बारे में लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता से क्षतिपूर्ति के लिए कह सकता है।

अनुच्छेद-18

विवाद समाधान तथा न्याय-व्यवस्था

18.1 इस लाइसेंस के तहत या इस संबंध में उठे किसी प्रश्न, विवाद या मतभेद के मामले में लाइसेंस के अंतर्गत मामले के अलावा निर्णय जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, को सचिव, विधि विभाग, भारत सरकार के एकल विवाचक या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को भेज दिया जाएगा।

18.2 इस प्रकार की किसी नियुक्ति के लिए इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि विवाचक एक सरकारी कर्मचारी है। विवाचक का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार का विवाचक जिसे इस मामले को मूल रूप से भेजा गया है

और जिसका स्थानांतरण हो रहा है या जिसकी सेवा समाप्त हो रही है या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है, के मामले में सचिव, विधि विभाग विवाचक के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है।

18.3 फिलहाल लागू विवाचन एवं संराधन अधिनियम, 1996, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा किसी संशोधन को उपरोक्तानुसार विवाचन कार्यवाहियों के लिए लागू समझा जाएगा। विवाचन का स्थान नई दिल्ली या विवाचक के निर्णय के अनुसार कोई अन्य स्थान होगा। विवाचन की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

18.4 निर्णय की कार्यवाही में उपरोक्तानुसार किसी भी संदर्भ तथा सभी संदर्भों पर लागत, ब्याज और आकस्मिक व्ययों का मूल्यांकन विवाचक के विवेक पर किया जाएगा।

अनुच्छेद-19

गोपनीयता

19.1 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता और अपने बीच आदान-प्रदान की गई सभी गुप्त तथा सुरक्षा संबंधी सूचना गोपनीय रूप में रखेगा और इस प्रकार की सूचना किसी तीसरी पार्टी या मीडिया को नहीं बताएगा।

अनुच्छेद-20

शास्ति

20.1 कोई अन्य कार्रवाई जिसमें लाइसेंस को रद्द करना शामिल हो सकता है, के अलावा लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंसधारक पर 50 करोड़ रूपये तक की शास्ति लगायी जा सकती है। तथापि, ऐसी कार्रवाई करने से पहले

लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर दे सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

अनुच्छेद-21

विविध

21.1 लाइसेंस में कहीं पर किसी शर्त के बावजूद लाइसेंस उसी शर्त के अधीन दी जाएगी कि देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने और इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए जब भी कोई विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाता है तो लाइसेंसधारकों को इस तरह के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करना होगा।

21.2 यह लाइसेंस किसी भी कानून की अपेक्षाओं तथा प्रावधानों के अधीन है जिसे भविष्य में भारत में प्रसारण को विनियमित करने तथा दिशा-निर्देश देने के लिए बनाया जा सके।

21.3 लाइसेंसधारक को जहां कहीं भी आवश्यक हो, आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। लाइसेंसधारकों को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, विद्युत अधिनियम, कारखाना अधिनियम और देश के अन्य संगत कानूनों का भी अनुपालन करना होगा। उपरोक्त अपेक्षाओं में से किसी का भी पालन न होने के मामले में लाइसेंसदाता को लाइसेंसधारक के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार होगा।

.....

बैंक गारंटी के लिए प्रपत्र

(प्रारूप-ग)

.....डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के लिए बैंक गारंटी

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
कार्यवाही मार्फत.....
शास्त्री भवन,
<u>नई दिल्ली-110001</u>

भारत के राष्ट्रपति (लाइसेंसदाता).....के मार्फत लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी के बीच हाने वाले लाइसेंस अनुबंध की निबंधन और शर्तों पर.....में डी.टी.एच. प्रसारण सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन करने के लिए.....को * (लाइसेंसधारी का नाम और पता) (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) लाइसेंस प्रदान करने हेतु सहमत है। .....(जिसे आगे लाइसेंस समझौता कहा गया है) जिसमें यह अनुबंधित किया गया है कि लाइसेंसधारी उपरोक्त लाइसेंस की निबंधन और शर्तों के उचित अनुपालन और निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में वहां विनिर्दिष्ट राशि के लिए एक अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी लाइसेंसदाता को प्रस्तुत करेगा।

जबकि हम ..... बैंक (बैंक का नाम, पता और अन्य विवरण दें) जिसका तात्पर्य बैंकिंग कंपनी(उपक्रम की प्राप्ति एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक निकाय निगम के अपने सभी उत्तराधिकारी प्रशासक और निष्पादक होगा (जिसे आगे बैंक कहा गया है) जबकि यह संदर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो जिसका मुख्यालय.....में है तथा जिसका एक शाखा कार्यालय .....में है, एतद्द्वारा लाइसेंसदाता को अपरिवर्तनीय एवं बिना शर्त गारंटी देता है कि लाइसेंसधारी जिसका तात्पर्य, जबकि संदर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हों, में इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और अभिहस्तांकिती लाइसेंस की निबंधन और शर्तों के अनुसार और उक्त लाइसेंस के लिए और इसके संबंध में लाइसेंसदाता की संतुष्टि के अनुरूप आवश्यक सेवा करेंगे।

इसलिए अब हम एतद्द्वारा प्रतिज्ञान करते हैं कि हम गारंटीदाता है और लाइसेंसधारक की तरफ से 40 करोड़ रूपए (केवल चालीस करोड़ रूपए) (गारंटी की राशि) की राशि तक के लिए आय के जिम्मेदार हैं और हम वायदा करते हैं कि आपको बिना कुतर्क, आपत्ति, विवाद, आपत्तियों उपाश्रय, विरोध अथवा प्रतिरोध के कोई राशि अथवा 40 करोड़ रूपए के अंतर्गत राशि (गारंटी राशि) ऊपर उल्लेखानुसार बिना किसी प्रमाण के अथवा विनिर्दिष्ट राशि के लिए आपकी मांग हेतु आधार या कारण के बगैर और/अथवा लाइसेंसधारी के किसी संदर्भ के बगैर आपकी प्रथम लिखित मांग पर तत्काल भुगतान कर देंगे। इसके अतिरिक्त, बैंक पर लाइसेंसदाता द्वारा की गई कोई ऐसी मांग लाइसेंसदाता एवं लाइसेंसधारक के बीच अंतिम होगी और लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी के बीच कोई अंतर अथवा किसी विवाचक न्यायालय के समक्ष कोई लंबित विवाद या किसी अन्य मामले की बाध्यता होते हुए, यह गारंटी लाइसेंस के परिसमापन, समापन, समाप्ति अथवा दिवालियापन द्वारा निर्धारित/उन्मुक्त/प्रभावित नहीं होगी और बैंक के प्रति बाध्यकारी और प्रचालन हेतु वैध बनी रहेगी।

हम, बैंक एतद्द्वारा सहमत हैं कि लाइसेंसदाता का निर्णय कि लाइसेंसधारी असफल हो गया है या निष्पादन की उपेक्षा की है अथवा अपनी ड्यूटियां और बाध्यताएं छोड़ दी हैं, उपर्युक्त अनुसार और/अथवा सेवा कमियों एवं दोष मुक्त हैं और तदनुसार हैं अथवा उपरोक्त लाइसेंस की निबंधन और शर्तों में नहीं हैं एवं बैंक द्वारा लाइसेंसदाता को भुगतान योग्य राशि आगे चलकर अंतिम होगी और बैंक पर बाध्यकारी होगी।

हम एतद्द्वारा मांग और गारंटी में हमें प्रस्तुत करने से पहले लाइसेंसधारी से उपरोक्त नामें की आपकी मांग की आवश्यकता को छोड़ देंगे कि हम मुख्यरूप से विवश हैं

और लाइसेंसधारी की ठीक प्रतिभूति नहीं है एवं लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी के विरूद्ध बिना कार्रवाई के पहली बार में मुख्य कर्जदार के रूप में बैंक के विरूद्ध इस गारंटी को लागू करने हेतु दावेदार होंगे।

हम पुनः सहमत है कि कोई परिवर्तन या परिवर्धन या लाइसेंस की शर्तों में अन्य संशोधन अथवा उसके तहत किए जाने वाले कार्य या लाइसेंस का कोई दस्तावेज गारंटी के अधीन किसी जिम्मेदारी से हमें किसी प्रकार छोड़ेगा, और हम एतद्द्वारा ऐसे किसी परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन आदि छोड़ देंगे।

हम.....बैंक एतद्द्वारा घोषित करते हैं और सहमत हैं कि :-

(क) इसमें अंतर्विष्ट गारंटी पूर्णतया लागू रहेगी और दस वर्ष की लाइसेंस अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इसका लाइसेंसदाता को सभी देयताओं तक लागू होना जारी रहेगा और उपरोक्त लाइसेंस का नैतिकता द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा इसके दावों से संतुष्ट है अथवा न्याय या लाइसेंसदाता को सूचित कर दिया गया है कि उपरोक्त लाइसेंस की सभी निबंधन और शर्तों को लाइसेंसधारी द्वारा पूर्णतया एवं उचित रूप से पूरी कर ली गई है और तदनुसार गारंटी त्याग दी गई है।

(ख) लाइसेंसदाता हमारी बगैर सहमति और उपरोक्त लाइसेंस की निबंधन और शर्तों की किसी भिन्नता के तहत हमारी विवशता को किसी प्रकार त्यागे बगैर अथवा समय-समय पर उपरोक्त लाइसेंसधारी द्वारा किसी विवशता के निष्पादन का समय बढ़ाने अथवा किसी समय स्थगित करने या समय-समय पर लाइसेंसधारी के विरूद्ध लाइसेंसदाता द्वारा लगाई किसी शक्ति अथवा दूर रहने या उपरोक्त लाइसेंस से संबद्ध किसी निबंधन और शर्तों को

लागू करने हेतु स्वतंत्र हैं और उपरोक्त लाइसेंस के लिए प्रदान की जा रही किसी भिन्नता अथवा विस्तार या सहिष्णुता अधिनियम या लाइसेंसदाता के भाग पर विलोपन अथवा उपरोक्त लाइसेंसधारी से लाइसेंसदाता के संतुष्ट होने या ऐसा मामला अथवा चीजे देने जो प्रतिभूतियों से संबद्ध कानून के अधीन आता हो लेकिन इस प्रावधान ने त्यागने हेतु प्रभावित किया है।

(ग) कोई दावा जो लाइसेंसधारी के विरूद्ध है तो इसके अधीन हमारी सभी बाध्यताओं का पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान और निष्पादन के लिए शर्त के अधीन होंगे और हम लाइसेंसदाता के पूर्व लिखित सहमति के बगैर कोई कानूनी अधिकारी अथवा किसी ऐसे भुगतान अथवा निष्पादन के बारे में किसी किस्म का उपाय साथ ही साथ शेष देनदारी एवं बकाया की विवशता हेतु प्रयोग करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय एवं बाध्यकारी है जिसमें हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारी द्वारा कोई पूर्व में नोटिस देने की शर्त नहीं होगी। हम आगे सहमत हैं कि यह गारंटी हमारे संविधान के किसी परिवर्तन द्वारा लाइसेंसधारी अथवा लाइसेंसदाता प्रभावित नहीं करेगी।

(ड़) बैंक लाइसेंसदाता की पूर्व सहमति के सिवाय प्रचलन के दौरान गारंटी को रद्द नहीं करेगा।

संविधान के अंतर्गत बैंक को गारंटी की शक्ति दी गई है और श्री.....जिसने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए हैं, इस गारंटी के निष्पादन हेतु उचित रूप से प्राधिकृत किया है।

यह गारंटी नाम, संविधान अथवा बैंक का पता अथवा लाइसेंसधारी में किसी परिवर्तन के कारण छोड़ी अथवा प्रभावित नहीं होगी।

यह गारंटी इस तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए अथवा .....द्वारा त्रुटिपूर्ण जिम्मेदारी प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख के बाद 28 दिन वैध रहेगी।

गारंटर के हस्ताक्षर और मोहर

बैंक का नाम.....

पता.....

तारीख.....

निम्न की उपस्थिति में:-

1.....

(नाम और व्यवसाय)

2.....

(नाम और व्यवसाय)

.....